

# प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 09.08.2024

## **44 पाउच अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब ( प्रत्येक पाउच में 250 एमएल ) व 500 ग्राम नौसादर, 1 कि०ग्रा० यूरिया के साथ 02 नफर अभियुक्तागण गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा मादक पदार्थों के तस्करी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में 30नि० अंजनी कुमार तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तागण 1. बताशा देवी 2. पूजा देवी को 44 पाउच अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब ( प्रत्येक पाउच में 250 एमएल ) व 500 ग्राम नौसादर, 1 कि०ग्रा० यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 736/2024 धारा 274 भा०न्या०सं० व 60 आबकारी अधिनियम व पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम, पता व अपराधिक इतिहास:-**

#### **1. बताशा देवी पत्नी बलिराम चौहान नि० जंगल डुमरी नं० 1 टोला औरहिया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर**

1. मु०अ०सं० 01/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गुलरिहा, गोरखपुर।
2. मु०अ०सं० 736/2024 धारा 274 भा०न्या०सं० व 60 आबकारी अधिनियम थाना गुलरिहा, गोरखपुर

#### **2. पूजा देवी पत्नी मिथिलेश चौहान निवासीगण ग्राम जंगल डुमरी नं० 1 टोला औरहिया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर**

1. मु०अ०सं० 736/2024 धारा 274 भा०न्या०सं० व 60 आबकारी अधिनियम थाना गुलरिहा, गोरखपुर

### **बरामदगी -**

44 पाउच अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब ( प्रत्येक पाउच में 250 एमएल )  
500 ग्राम नौसादर व 1 कि०ग्रा० यूरिया

### **गिरफ्तारी की टीम-**

1. प्र०नि० शशिभूषण राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. 30नि० अंजनी कुमार तिवारी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. का० पंकज कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. का० विनोद कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
5. म०का० खुशबू पाण्डेय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।